International Journal of Applied Research 2017; 3(7): 134-136

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(7): 134-136
www.allresearchjournal.com
Received: 19-05-2017
Accepted: 20-06-2017

डॉ. संस्तुति पाण्डेय
अर्थशास्त्र विभाग, शा. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊगंज, जिला–रीवा, मध्य पद्रेश, भारत

डॉ. सोमदत्त पाण्डेय
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, शा. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊगंज, जिला, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Correspondence
डॉ. संस्तुति पाण्डेय
अर्थशास्त्र विभाग, शा. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय मऊगंज, जिला–रीवा, मध्य पद्रेश, भारत

ग्रामीण क्षेत्रों में आय एवं रोजगार सृजन–मऊगंज तहसील के विशेष संदर्भ में

डॉ. संस्तुति पाण्डेय, डॉ. सोमदत्त पाण्डेय

सारांश
महात्मा गाँधी कहा करते थे कि असली भारत गांवों में बसता है। गाँधी जी के समय सचमुच भारत की अधिकतर आबादी गांवो में रहती थी। पिछली सदी के आरंभ में यानी 1901 में हुई जनगणना के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में और केवल 10 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रह रही थी किन्तु 50 वर्ष बाद 1951 में हुई पहली जनगणना में दर्ज 83 प्रतिशत ग्रामीण आबादी 2001 की जनगणना तक घटकर 74 प्रतिशत तक आ गई और इस समय यह 70 प्रतिशत से भी कम हो गई है। जनसंख्या के स्वरूप में इस नकारात्मक बदलाव को रोकने के उपायों पर विचार करने से पहले इस प्रवृत्ति के मोटे–मोटे कारणों की पड़ताल करना समीचीन होगा। हालंकि कृषि के विकास पर भी बराबर जोर दिया जाता रहा है लेकिन परिवार बढ़ने पर सभी लोगों का पेट पाल सकने में कृषि क्षेत्र असमर्थ होता गया और गांवों में रोजगार के अवसर निरंतर घटते गए।

मूल शब्दः ग्रामीण क्षेत्रों, आय एवं रोजगार, सृजन–मऊगंज

प्रस्तावना
कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने तथा आबादी बढ़ने के कारण अधिसंख्य विशेषकर मेहनत–मजदूरी करने वालों के लिए रोजी–रोटी की तलाश में शहरों, कस्बों में जाना आवश्यक हो गया। इस प्रकार गांवो में रोजगार की अपर्याप्तता शहरों की ओर पलायन के प्रमुख कारणों में से एक है। शिक्षा का विस्तार होने से गांवों के शिक्षित युवक के लिए देहात में कामकाज के कोई अवसर नहीं थे, इसलिए वे सहज ही शहरों की ओर मुख करने लगे। एक ओर जहां खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है वहीं खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। यह इसलिए भी जरूरी है कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आने वाले वर्षो में खाद्य समस्या से निपटना भी देश के सामने एक चुनौती है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए यह जरूरी है कि कृषि के साथ–साथ उससे जुड़े अन्य घटकों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, मछलीपालन, डेयरी आदि गतिविधियों को आपस में जोड़ा जाए, इसके बगैर खेती को लाभ के व्यवसाय में परिवर्तित करना संभव नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान तहसील है, जिले में लगभग कामकाजी व्यक्ति कृषक या खेतिहर मजदूर के रूप में जुड़े हुए हैं, जो खेती व मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं जो आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं है। पूर्व में किए गये अध्ययन से पता चलता है कि विकास के क्षेत्र में उन्नति हुई है। जिस तेजी से विकास होना चाहिए वह पर्याप्त नहीं है, शासकीय एवं अशासकीय संगठनो द्वारा कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये विकासखण्ड, ग्राम पंचायत, और गांवो में कार्यक्रम चलाये जाएँ ताकि खेती से जुड़ी इन सभी गतिविधियों का आपस में समन्वय स्थापित कराते हुए किसानों की आर्थिक उन्नति में सहायता दी जा सकती है। किसान और कृषि के लिए संचालित विभागीय योजनाओं के समन्वय के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से कृषकों को उन्नतिशील किसान बनाने में मदद मिल सकती है, लेकिन सवाल वही कि क्या ऐसा करना संभव है? इसके लिए हमें योजनाबद्व तरीके से कार्य करना होगा। हमें यह कोशिश करनी होगी कि किसान पुराने ढर्रे पर चल रही खेती के तरीके को बदले और नई जानकारी के अनुसार लाभ की खेती करें। इसके लिए प्रत्येक जिले में सौ–सौ किसानों का चयन कर उन्हे प्रशिक्षित करना होगा ताकि उनके यहाँ इन सभी गतिविधियों का संचालन कराया जा सके। इससे होगा यह कि इन कृषकों से प्रेरणा लेकर अन्य किसान भी उन्नति कर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने आगे आएंगे।

अध्ययन क्षेत्र

मऊगंज तहसील की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र के रीवा जिले के उत्तरी पूर्वी सीमा पर 24^{0}30′ से 24^{0}59′ उत्तरी अक्षांश तथा 81^{0}35′ से 81^{0}55′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। अतः यह मध्यप्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग है। जो अपना अलग अस्तित्व बनाये हुए है, मऊगंज तहसील का धरातलीय विन्यास अत्यन्त ही विषम है। मऊगंज तहसील के उत्तरी भाग को विन्ध्य श्रेणियो ने सीमाबद्ध किया है, इसका पूर्वी भाग मे पूर्वी उच्च भूमि द्वारा आबद्ध है। जो मऊगंज तहसील की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इस तहसील के दक्षिण मे पूर्व से पश्चिम की ओर फैली पर्तत श्रृंखलाएँ हैं, जो विन्ध्य श्रेणी का ही अंग है, जो मऊगंज तहसील की दक्षिणी सीमा बनाती है, तथा इसके पश्चिम मे रीवा की उच्च भूमि पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। इन भागो के मध्य विस्तृत भू–भाग मऊगंज तहसील कहलाता है। मऊगंज तहसील का आकार अनियमित है। यह रीवा के उच्च पठार का एक अंग है, जिसकी आकृति त्रिकोणीय है। इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा तथा पूर्वी भाग नुकीला है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम अधिक तथा उत्तर से दक्षिण कम है। इसका उत्तर से दक्षिण मे चौड़ाई 33.789 किमी. तथा पश्चिम से पूर्व 67.578 किमी. है। मऊगंज तहसील का क्षेत्रफल 2283.393 वर्ग किमी. है। यह भू–भाग सागर तल से 1234 फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह रीवा के पठार का सबसे ऊँचा भाग है। यह तहसील कर्क रेखा के पास ही है। कर्क रेखा इस के दक्षिण से होकर गुजरती है। इसलिए इस भाग की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है।

अध्ययन विधि

शोध अध्ययन की प्रकृति मूलतः आनुभविक है। अतः अध्ययन के दौरान प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों के प्रयोग की पर्याप्त सम्भावना है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएँ एवं सन्दर्भ ग्रन्थों से आँकड़े संकलित किए जायेगें, साथ ही विषय की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक स्रोतों में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन एवं प्रश्नावली के द्वारा शोध कार्य की विश्वसनीयता बनाये रखने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है। शोध कार्य के दौरान गवेषणात्मक अन्वेषणात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक प्रविधियों के यथा सम्भव प्रयोग द्वारा आवश्यक तथ्य संकलन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में स्टेट बैंक की स्थिति एवं हितग्राहियों के साक्षात्कार द्वारा अध्ययन को सारपूर्ण एवं अधिक विश्वसनीय बनाये जाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में संकल्पनात्मक पद्धति ;भ्लचवजीमजपबंस डमजीवकद्ध के माध्यम से प्राक्कल्पना तैयार कर उसके अनुसार अध्ययन विषय को विकसित करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

खेती में पढ़े–लिखे युवाओं की दिलचस्पी को बढ़ाना भी आवश्यक है ताकि वे व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के साथ ही मसाला व औषधीय पौधों के उत्पादन में रूचि लें। पढ़े–लिखे लोग खेती में दिलचस्पी नहीं लेते, वे गावों से पलायन कर रहे हैं। खेती को बचाना है और उत्पादन बढ़ाने के साथ खाद्य संकट से निपटना है तो पढ़े–लिखे लोगों को खेती से जोड़ने के लिए अभियान चलाना जरूरी है। प्रशिक्षण देकर उन्हे खेती के आधुनिक तरीको से भी अवगत कराया जाए ताकि मौसम के विपरीत परिस्थितियों में भी वे नुकसान में न रहे। मिट्टी परीक्षण के माध्यम से पता करके किसान ऐसी खेती करें जिसमें उन्हे घाटा न सहना पड़े। जहां फूलों की खेती की अपार संभावनाएँ हों वहा फूल उगाएँ और जहां दलहन–तिलहन की खेती की संभावनाएँ हो वहाँ दालें या तिली की खेती करें। इस दिशा में किसानों को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। इसके लिए क्लस्टर योजना बनाकर उद्यानिकी की गतिविधियाँ संचालित करना भी अच्छा विकल्प हो सकता है। युवाओं को स्टेट बैंक से संपर्क करके कृषि हेतु दिए जा रहे ऋण विकल्पों को समझना होगा।

गौवंश उत्पादकता की वृद्वि के साथ सघन नस्ल सुधार कार्यक्रम व दुधारू पशु उत्प्रेरण कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए। जिला स्तर पर पशु मेलों का आयोजन कर उन्नत नस्ल के पशुओं की बिक्री हेतु उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेयरी व्यवसाय से जोड़ा जा सके। तयशुदा मिल्करूट के गावों के पशुओं में उन्नत नस्ल पशु सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने से सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। चाहे तो प्रमुख फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम का माइक्रोप्लान बनाएं और फसलों का उत्पादन लेने के लिए प्रमाणित बीज के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। गांव मे प्रदर्शन के समय किसानों को बुलाया जाए। सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग कर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यदि कृषि उत्पादन सामूहिक सहभागिता पर आधारित होगा तो सारे ग्रामीण जागरूक हो सकेंगे और फसल का उत्पादन बढ़ेगा तो हर व्यक्ति को अच्छा फायदा होगा। इसके लिए सामुदायिक समृद्वि बढ़ाने में निजी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। समग्र उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि अमले को प्रत्येक चयनित ग्राम में उत्पादकता यात्रा भी करनी चाहिए। यही नहीं बीज व डेयरी समितियों का गठन कर किसानों को जोड़ा जाए और उन्हे एक ही तरह की गतिविधि संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। डेयरी व्यवसाय हेतु भारतीय स्टेट बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश में साधनो की कमी नहीं है, तकनीकी एवं सामूहिक प्रयासों से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से न केवल कार्ययोजना बनाई जाए बल्कि अमल में भी लायी जाए। भूमि सुधार कर फसलों की बुआई कराना भी लाभदायक हो सकता है। पर जरूरी यह है कि उन्नत कृषि तकनीक व गांवों का चयन तय समय में किया जाए। चाहे रबी हो या खरीफ अभियान हेतु जो भी प्रयास आवश्यक है समय के पूर्व और समन्वित रूप से किए जाएँ। कार्ययोजना ऐसी हो जो दीर्घकालीन वातावरण का निमार्ण करें।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की उन्नति कृषि की उन्नति से जुड़ी है। उन्नत कृषि तकनीकें ही उन्नति के शिखर पर ले जाएगीं। खेती को लाभ का धन्धा बनाने के लिए कृषि अधिकारियों को लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति से कार्य को अंजाम देना होगा। इतना ही नहीं विभागीय कार्यक्रमों के दायरे से बाहर भी जाकर काम करना पड़े तो सदैव तत्पर रहना होगा। सिंचाई की समस्या से निजात पाने के लिए खेत तालाब योजना काफी उपयोगी है इसका समुचित लाभ किसानों को मिलना चाहिए। फसलों से जुड़े सभी प्रकार के शासकीय कार्यक्रमों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के उपकरण व अन्य आदान, जो किसानों को दिलाया जाना है, उसे अभियान के रूप में उपलब्ध कराया जाए। जैविक खेती के प्रति आकर्षण को और बढ़ाना होगा। इतना ही नहीं प्रसंस्करण, भण्डारण और फसलोत्तर प्रबंधन के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना भी किसानों के लिए हितकर होगा। खेत–तालाब योजना हेतु भारतीय स्टेट बैंक की मऊगंज शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृषि के क्षेत्र में कम समय में कायाकल्प किया जा सकता है। चुनौती तकनीक को खेत में उतारना है। खेती को लाभदायक बनाना केवल कृषि विभाग का ही विषय नहीं है, इससे जनप्रतिनिधियों को जोड़ना होगा। ग्रामसभाओं में भी कृषि तकनीक व उक्त विषयों को जोड़ने पर जोर देना होगा। पारंपरिक फसलों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए

व्यापक रूप से कार्य करने की जरूरत है। गैर–सरकारी संगठनों का जुड़ाव, जल संरक्षण तथा उत्तम कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कार के संबंध में भी निर्णय लिए जा सकते हैं। उच्च तकनीक के उपयोग तथा पौधारोपण में वृद्वि कर उत्पादकता बढ़ायी जाए। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के वर्तमान क्षेत्राच्छादन में पांच लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्यानिकी के लिए रीवा जिले की कृषि, जलवायु तथा स्थानीय संसाधनों के अनुसार कार्ययोजना बने तथा इसे दीर्धकालिक स्वरूप में क्रियान्वित किया जाए। उद्यानिकी कार्ययोजना में परस्पर संबंधित विभाग संयुक्त योजना बनाकर क्रियान्वित करें तथा जिले को फोकस कर क्लस्टर का चयन कर उक्त क्लस्टर में ही विभिन्न योजनाएँ बनायी जानी चाहिए।

अध्ययन क्षेत्र में जिस तेजी से उपजाऊ खेती योग्य भूमि पर कंकरीट के जंगल फैल रहे हैं और प्रापर्टी को कुछ भौतिकवाद में लिप्त लोगों ने व्यवसाय बना लिया है उसे देखते हुए जरूरी हो गया है कि जिले में फ्लैट संस्कृति को बढ़ावा न दिया जाए। फ्लैटों की उचित देखरेख व सही रखरखाव के लिए फ्लैट एक्ट बनाया जाना चाहिए। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाली अन्य गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। चूंकि जमीन सीमित है उस पर भी उपजाऊ जमीन का अभाव है, ऐसे में खेती को बचाने का प्रयास किया जाये।

आंकड़ो की बजाय किसानों को वास्तविक और व्यावहारिक लाभ देने की योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाए। भंडारण और फसलोत्तर तकनीक के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी का विस्तार किया जाना जरूरी है। कृषि क्षेत्र में महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाकर ही क्रान्तिकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं। कृषि और किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएं वह जमीनी हकीकत पर आधारित हों। प्रदेश के विकास की तकदीर और तस्वीर बदलने में कृषि विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए परिणाम आधारित कार्यशैली को मजबूत बनाने की जरूरत है। किसानों को शासकीय सहायता के लिए इधर–उधर भटकना नहीं पड़े इसके लिए अभियान चलाकर हितग्राहियों का चयन करने और कृषि मेलों के माध्यम से अनुदान उपकरण और सहायता आदि प्रदान किए जाने चाहिए। कृषि विस्तार विकास कार्यक्रमों के साथ ही शोध और अनुसंधान की दिशा में भी प्रयासों की जरूरत है ताकि कीट, व्याधि और पाले आदि की समस्याओं का सामना करने में सक्षम प्रजातियों का विकास हो सके। किसानों को समय से और सही खाद, बीज, औषधि और उपकरण प्राप्त हो, इसके लिए अग्रिम रूप से समुचित प्रबंध किए जाएँ। अमानक और नकली कृषि आदानों के विक्रय के प्रकरण मिलने पर कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

संदर्भ

1. कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक 11, वर्ष 1997–2010 तक
2. योजना, योजना भवन, दिल्ली, 2001
3. अरूण गंगेले–उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2008
4. रिस्ट चार्ल्स–आर्थिक विचारों का इतिहास, राधा पब्लिकेशन दरियागंज, नई दिल्ली, 2005
5. सुबह सिंह यादव–ग्रामीण विकास के नये क्षितिज, 1993
6. प्रतियोगिता दर्पण, भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक, 2010